Result Mitra Daily Magazine

धन विधेयक के रूप में विधेयकों को पारित करने संबंधी याचिका एवं उच्च न्यायालय का पूर्व में दिया गया निर्णय

Result Mitra

हालिया सन्दर्भ :-

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा विभिन्न विवादास्पद कानून को "धन विधेयक" (Money Bill) के रूप में संसद में पारित कराने संबंधी निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने एवं उस पर निर्णय लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।
- इस मामले में याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह ने सोमवार, 15 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड की पीठ से मामले की सुनवाई 23 जुलाई को केन्द्रीय बजट आने से पहले करने की मांग की गई।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने इस मामले की सुनवाई के लिये संविधान पीठ के गठन करते समय निर्णय लेने की बात कही गई।

क्या है धन विधेयक (Money Bill)

- आमतौर पर कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा में बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है।

- लेकिन "धन विधेयक" (Money Bill) कानून बनाने की इस प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में एक अपवाद के रूप में है।
- धन विधेयक के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया एक फास्ट-ट्रैक मार्ग प्रदान करता है क्योंकि इस विधेयक को पारित करवाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से पारित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत एक "धन विधेयक" ऐसा विधेयक है, जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है तथा लोकसभा में बहुमत से पारित होने पर इस विधेयक को सिफारिशों के लिये "राज्यसभा" में भेजा जाता है।
- राज्यसभा को धन विधेयक के सिफारिशों पर 14 दिनों के अंदर जवाब देना होता है।
- हालांकि राज्यसभा द्वारा "धन विधेयक" पर की गई किसी भी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है।
- अगर राज्यसभा द्वारा निर्धारित 14 दिनों के अंदर "धन विधेयक" को वापस नहीं किया जाता है या वापस दिया जाता है तो इसे वैसे भी राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है।
- धन विधेयक (Money Bill) के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लगभग प्रतिबंधित है क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक के लिये किसी भी प्रकार की स्वीकृति, अस्वीकृति, संशोधन सिफारिशें नहीं कर सकता। इस विधेयक के संबंध में सारी शक्तियाँ लोकसभा में निहित है।

धन विधेयक (Money Bill) के अंतर्गत कौन-कौन से विषय आते है :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-110 में धन विधेयक से संबंधित विषयों की एक विशिष्ट सूची शामिल है।
- धन विधेयक के अंतर्गत आने वाले विषय निम्न है :
- ऐसा विषय जो कराधान से संबंधित हो,
- भारत की समेकित निधि (उधार और ऋण के रूप में करों और खर्चों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व) संबंधित विषय
- भारत सरकार के वित्तीय दायित्व
- भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि (धन जमा करना या निकालना)
- उपरोक्त किसी भी विषयों का आनुषंगिक विषय
- कोई भी विधेयक "धन विधेयक" है या नहीं इस पर संविधान के अनुच्छेद-110(3) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।

"धन विधेयक" के रूप में पारित किये गए अन्य विधेयक

- पिछले कुछ वर्षों में एनडीए (NDA) सरकार द्वारा मनी लान्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम-2002 (PMLA), विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA)-2010 एवं आधार अधिनियम-2016 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण कानून धन विधेयक के रूप में पारित किया गया।

Result Mitra

"धन विधेयक" को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

- सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किये गए विभिन्न पास किये गए विभिन्न विधेयकों में धन विधेयक के रूप में पेश किये गए दो विधेयकों को कानूनी चुनौती दी गई, जिनमें आधार अधिनियम-2016 और वित्त अधिनियम-2017 शामिल है।

आधार अधिनियम-2016

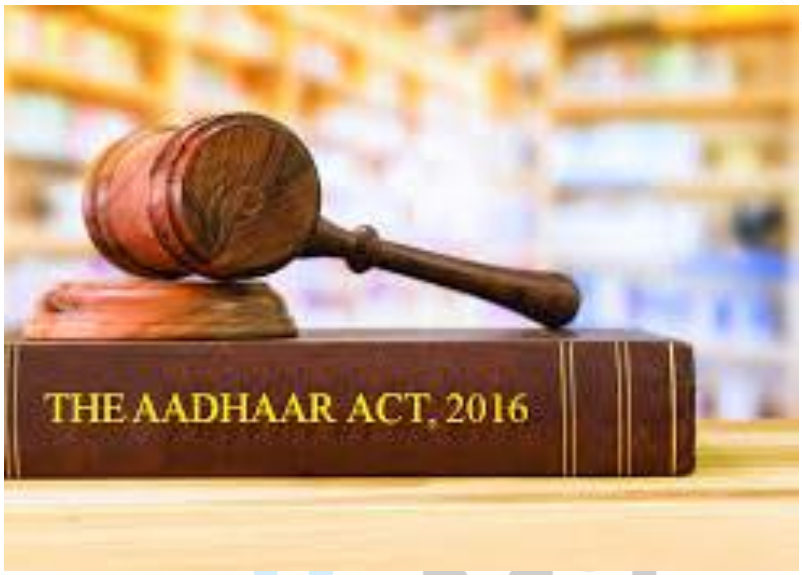

- आधार अधिनियम-2016 को धन विधेयक के रूप में पारित किये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2018 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत के आधार पर आधार अधिनियम-2016 की संवैधानिक को बरकरार रखते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
- इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क था कि आधार अधिनियम-2016 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत सूचीबद्ध विषयों से असंबंधित है।
- इस अधिनियम पर सहमति व्यक्त करने वाले न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने लिखा कि चूंकि आधार अधिनियम-2016 का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी और काम प्रदान करना था जो संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत शामिल विषयों "समेकित निधि" के अन्तर्गत आता है । इस अधिनियम को "धन विधेयक" के रूप में पारित करने के योग्य बनाता है।
- इस मामले में असहमति प्रदान करने वाले एक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड का मानना था कि आधार विधेयक-2016 को धन विधेयक के रूप में पारित करना "संवैधानिक प्रक्रिया" का दुरूपयोग है क्योंकि यह एक साधारण विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराना राज्यसभा की भूमिका को सीमित करता है।

Result Mitra

- हालांकि इस मामले में अपना निर्णय देते हुए 5 सदस्यीय संविधानिक पीठ ने कहा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होने के बावजूद यह विषय "न्यायिक समीक्षा" के अधीन हो सकता है।

वित्त अधिनियम-2017

- वित्त अधिनियम-2017 के मामले में याचिकाकर्ता के रूप में मद्रास बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया लायर्स यूनियन (AILU) और कांग्रेस सरकार जयराम रमेश ने तर्क देते हुए कहा कि वित्त अधिनियम-2017 संविधान के अनुच्छेद-110 के तहत सूचीबद्ध, वित्तीय विषयों से असंबंधित है, इसलिए इस अधिनियम को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिये।
- इस मामले की सुनवाई करते हुए नवंबर 2019 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस अधिनियम के तहत किये गये कुछ सुधारों को रद्द कर दिया। हालांकि संपूर्ण वित्त अधिनियम-2017 को रद्द नहीं किया गया।
- हालांकि इस मामले ने सुनवाई करते हुए वित्त अधिनियम-2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने संबंधित वैद्यता की जाँच के लिये इसे 7 न्यायाधीशों की बडी पीठ के पास भेज दिया गया था।
- इस निर्णय के बाद धन विधेयक के माध्यम से पारित विधेयकों की चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिये तब तक के लिये लगा दी गई थी जब तक सात न्यायाधीशों की पीठ यह निर्णय नहीं ले लेती कि धन विधेयक (Money Bill) क्या है।
- इस निर्णय के तहत दिये गये 255 पन्नों के फैसले में इस बैंच ने आधार अधिनियम-2016 को बरकरार रखने वाले 2018 के संविधान पीठ के फैसलों पर भी संदेह वयक्त किया गया।

Result Mitra

साधारण विधेयक (Ordinary Bill) एवं धन विधेयक में अंतर

- साधारण विधेयक (Ordinary Bill) धन विधेयक (Money Bill) की तुलना में संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में किसी मंत्री या अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किया जा सकता है जबकि धन विधेयक (Money Bill) को केवल लोकसभा में किसी मंत्री (Minister) के द्वारा पेश किया जाता है।
- साधारण विधेयक पेश करने के लिये "राष्ट्रपति" की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है जबकि धन विधेयक को पेश करने के लिये "राष्ट्रपति" की अनुशंसा आवश्यक हो जाती है।

- साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को राज्यसभा की संशोधन, स्वीकार्य या अस्वीकार्य प्रतिबंधित है।
- साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रख सकता है जबकि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रख सकता है।
- साधारण विधेयक को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है जबकि धन विधेयक का केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 के तहत साधारण विधेयक (Ordinary Bill) का उल्लंघन किया गया है।

TM
Result Mitra